

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
संपदा अनुभाग

फा.सं.संपदा/7-31/2020

दिनांक: 20 AUG 2020

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली में आवास आबंटन हेतु अनिवार्य स्लॉट्स के क्रम सं. 24 में संशोधन किया गया है जोकि निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पूर्व में	संशोधित
24	परिचर्या अधीक्षक	नर्सिंग अधिकारी

शेष सभी नियम एवं शर्तें यथावत हैं।

संलग्नक: आवास आबंटन हेतु अनिवार्य स्लॉट्स



(निखिल भटनागर)

प्रशासनिक अधिकारी (संपदा)

कंप्यूटर सुविधा:- एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।





